शिक्षा की प्रगति

माध्यमिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश

2004-05

373.021
UTT-04-UP

निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

माध्यमिक शिक्षा

2004-05

NIEPA - DC
D12915

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-12915
DOC, No.........
Date 25-1-2007

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य पर्यवेक्षण	1 – 5
2.	माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा	6 – 19
3.	पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश	20 – 23
4.	पुस्तकालय	24

तालिकाओं की सूची

1.	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	25
2.	माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या	25
3.	माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की सख्या	25
4.	30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार प्रबन्धानुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	26
5.	30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार स्तरानुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	26
6.	30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार जनपदवार हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या	27 – 29
7.	30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार जनपदवार इण्टरमीडिएट स्तर के विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या	30 – 32
8.	हाई स्कूल परीक्षा 2004 में परीक्षार्थियों की संख्या	33
9.	इण्टरमीडिएट परीक्षा 2004 में परीक्षार्थियों की संख्या	33
10.	माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा 2004 का परीक्षाफल	34
11.	माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा 2004 का परीक्षाफल	35
12.	2001 की जनगणनानुसार जनपदवार जनसंख्या एवं साक्षरता प्रतिशत	36 – 38
13.	माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत पदों की स्थिति	39 – 45

अध्याय- 1
सामान्य पर्यवेक्षण

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। प्राचीन शिक्षा की पद्धति गुरुकुल प्रणाली में निहित थी। कालान्तर में मंदिरों, मठों एवं मस्जिदों में शिक्षा का विकास कार्यक्रम चलता रहा। भारत की आजादी के पूर्व ब्रिटिश शासकों ने 1858 में म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ की जिसमें प्राथमिक स्तर से विद्यालयों की शिक्षा का संचालन करने का अधिकार था।

सेडलर कमीशन 1917 की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग किया गया। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 प्रकाशित व प्रभावी किया गया। इसी तारतम्य में राजाज्ञा संख्या 214/2–2 दिनांक 31 मार्च, 1923 द्वारा म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को छोड़कर शेष की शिक्षा इससे अलग कर के माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु "डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन" के शिक्षा विभाग के साथ अभिलिखित किया गया। अप्रैल, 1939 में शिक्षा विभाग को सचिवालय से पृथक कर उसे उत्तर प्रदेश का एक अलग विभाग बनाया गया। राजाज्ञा संख्या 3436/15–2263–46 दिनांक 26 जून, 1947 द्वारा "डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन" का नाम बदल कर "डायरेक्टर आफ एजूकेशन" और बाद में "शिक्षा निदेशक" किया गया।

वर्ष 1972 तक उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रशासन के अधीन थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों, विद्यालयों एवं नये–नये प्रयोगों के कुशल संचालन के कार्यक्रम को अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में शिक्षा निदेशालय के विभाजन का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया जिसके अनुसार शिक्षा का प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर का तीन खण्डों में विभाजन किया गया जिसके अलग–अलग निदेशक बनाये गये। बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1985 में पृथक बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों एवं उर्दू तथा राजभाषा की अधिक गतिशील व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अलग–अलग निदेशालय स्थापित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश 240928 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैला है। शिक्षा जगत की सार्थक एवं व्यापक व्यवस्था के अनुरूप कार्य सम्पादन में सुविधा की दृष्टि से पूरे प्रदेश में प्रशासनिक कार्य सम्पादन के निमित्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, एक मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय है। जनपदीय स्तर पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश के सभी 70 जनपदों में एक–एक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय स्थापित हैं।

जनगणना 2001 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 166052859 है जिसमें 87466301 पुरूष एवं 78586558 महिलायें हैं। कुल साक्षरता 57.36 प्रतिशत है जबकि पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 70.23 एवं 42.98 प्रतिशत है।

खेलकूद एवं युवक कल्याण

छात्र–छात्राओं की शिक्षा के साथ समुचित सामाजिकता एवं स्वस्थ नागरिकता का प्रशिक्षण देना और उनके शरीर को हृष्ट–पुष्ट बनाना तथा उन्हें चुस्त रखने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्रा खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, कोचिंग, विजेताओं को छात्रवृत्तियाँ देना, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान में विद्यालयों में पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूर्व माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार, 'अपना देश, अपना प्रदेश जागो' आदि योजनायें सम्मिलित हैं। विद्यालयों में खेल–कूद एवं अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रम के प्रोन्नति हेतु राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद की स्थापना की गयी है।

माध्यमिक शिक्षा

1. माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सुनियोजित नीति का अपनाया जाना तथा क्षेत्रीय असंतुलन के निराकरण के लिए माध्यमिक विद्यालयों का मुख्य रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खोला जाना।
2. गुणात्मक सुधार कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना, जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम को सफल बनाना, पाठ्यक्रम के स्तर को उन्नत करना, शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाना आदि विद्यालयों के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनमें अभिनव प्रयोग की योजना संचालित करना।
3. ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जिसमें छात्रों को पर्याप्त संख्या में मध्य स्तरीय रोजगार के अवसरों की ओर लगाया जा सके। विद्यालय भवन, काष्ठोपकरण, प्रयोगशालाओं तथा साज–सज्जा की दृष्टि से विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाना।
4. 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा के नये रूप के सन्दर्भ में विज्ञान की शिक्षा का विस्तार और सुधार करना।
5. माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा की पद्धति के अभिनवीकरण हेतु पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना।

शैक्षिक शोध अध्यापक प्रशिक्षण

शैक्षिक–समस्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान को विशिष्ट गति देने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना वर्ष 1981 में की गयी। इस प्रक्रिया में माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के

अध्यापकों की सेवा कालीन शैक्षिक सुविधाओं को विस्तृत एवं व्यापक बनाना तथा वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समुन्नत करना सम्मिलित है।

मृत/अवकाश प्राप्त अध्यापकों की कल्याण योजना :

1. मृत/अवकाश प्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों के अध्ययनरत विकलांग बच्चों को एक शैक्षिक सत्र के लिए निम्नांकित दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है–

1.	कक्षा 3 से 8 तक	रु0 350.00 एक मुश्त
2.	का 9 से 10 तक	रु0 500.00 एक मुश्त
3.	कक्षा 11 से 12 तक	रु0 800.00 एक मुश्त
4.	स्नातक/स्नातकोत्तर, सी0टी0	रु0 1000.00 एक मुश्त
	एल0टी0/एम0बी0बी0एस0/टेक्निकल आदि।	

2. मृत अध्यापकों के आश्रितों जिनका कोई बालिग पुत्र रोजगार करने योग्य न हो तथा अवकाश प्राप्त अध्यापकों की जिनकी मासिक पेंशन की धनराशि 500 रूपया से अधिक न हो, भरण पोषण हेतु 150 रूपये मासिक दर से कम से कम एक वर्ष तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दी जाती है।

3. मृत अध्यापकों तथा ऐसे अवकाश प्राप्त अध्यापकों जिनकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर रूपये तीस हजार मात्र से अधिक न हो, की पुत्री जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, की शादी हेतु रूपया 4000 या रूपया 5000 तक एक मुश्त धनराशि स्वीकृत की जाती है।

4. मृत अध्यापकों के आश्रितों, अवकाश प्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों को जिसकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर 30,000 रूपया (रूपया तीस हजार मात्र) से अधिक न हो, स्वयं को अथवा उनके आश्रितों को चिकित्सा हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदत्त अथवा अन्य डाक्टरों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रमाण पत्र में अंकित बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए रू0 750 से रू0 5000 मात्र की एक मुश्त धनराशि स्वीकृत की जाती है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु एतद गठित समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तथा समिति के अनुमोदनोपरान्त सहायता स्वीकृत की जाती है। अपूर्ण अथवा नियमान्तर्गत न होने वाले प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाते हैं।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

समाज के विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु योजना में विशेष प्रयास किया गया

है। इनके लिए अनुसूचित जाति की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे है तथा उनके लिए प्रोत्साहन योजनायें चलायी जा रही हैं। जैसे उनके बालकों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है।

अभिभावक अध्यापक संघ का गठन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कहा है कि इस स्तर पर उपयुक्त पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों में चेतन रूप में सामाजिक संस्कृति का संस्कार डाला जाय। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को शिक्षित करने वाले अध्यापकगण एक दूसरे के अधिक सम्पर्क में आयें और विद्यार्थियों तथा संस्था के क्रिया–कलापों को सही दिशा प्रदान करने में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें।

इस दृष्टि से अभिभावक अध्यापक नियमावली में उल्लिखित एसोसियेशन प्रबन्ध समिति एवं प्रधानाचार्य को संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए परामर्श एवं सहयोग देता है परन्तु संस्था के प्रबन्धकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं है। इस एसोसियेशन के माध्यम से संस्था और स्थानीय समाज के आपसी सम्बन्ध को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही संस्था की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर एसोसिएशन स्थानीय समाज के नैतिक, आर्थिक या भौतिक सहयोग से उनको दूर करने का प्रयास करेगा। इस नियमावली के अनुसार अभिभावक–अध्यापक एसोसियेशन की आम सभा वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

अन्य कार्यक्रम

1. पुस्तकालय नीति–शिक्षा के सभी स्तरों के कार्यक्रमों को आधुनिक पुस्तकालय व्यवस्था को समर्थन प्रदान करना।
2. शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के नियोजन एवं अनुश्रवण हेतु शिविर कार्यालय, लखनऊ में "नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोष्ठक" की स्थापना।
3. अध्यापकों की नियुक्तियों में गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की स्थापना।
4. हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं, जैसे– संस्कृत, उर्दू आदि का समुचित विकास किया जाना तथा उनके साहित्य में अभिवृद्धि हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रमों का संचालन किया जाना।
5. राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से कक्षा 1–12 तक की भाषा और इतिहास की पुस्तकों की समीक्षा किया जाना।
6. छात्रों के चरित्र विकास एवं नेतृत्व के गुणों के विकास को ध्यान में रखकर जनपदीय एवं मण्डलीय स्काउट रैली का आयोजन करना।

अध्यापकों को राज्य पुरस्कार

वर्ष 1950 से भारत सरकार द्वारा अध्यापकों को विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारम्भ हुई। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश में चुने हुए माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है। वर्ष 1984 से प्रदेश स्तर पर ऐसे शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान करना आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए अध्यापकों को वर्ष 2004-05 से 10,000.00 रूपये नकद, एक ऊनी शाल, मेडल और प्रमाण-पत्र दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्यापकों को दो वर्षों की सेवा विस्तारण तथा एक अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का भी प्राविधान है।

अध्याय- 2
माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में विशेष महत्व है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग है। विवेकपूर्ण निर्णय लेने, युगीन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति, गुणवत्ता–परक शिक्षा ही कर सकती है। किशोर बालक/बालिकाओं में ज्ञान वर्धन के साथ–साथ सामाजिक सद्गुणों का विकास, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविकास आदि चारित्रिक गुणों का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है।

वर्तमान में प्रदेश में कुल 12766 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 548 राजकीय तथा 12218 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें 4474 अशासकीय सहायता प्राप्त तथा 7744 वित्तहीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालय है। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग 67.64 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है।

माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना :

माध्यमिक शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के साथ पठन–पाठन की व्यवस्था में सुधार के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाये गये हैं :–

1. असेवित विकास खण्डों में बालिका हाईस्कूल/इण्टर विद्यालयों की स्थपना :

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शैक्षिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 426 विकास खण्डों (असेवित) में शासकीय/अशासकीय माध्यमिक कन्या विद्यालयों की स्थापना करके अच्छादित किया जा चुका है। वर्ष 2004–05 में निजी प्रबंन्ध तंत्र के सहयोग से 361 स्थापित कन्या विद्यालयों को द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2004–2005 में 9 विद्यालयों को द्वितीय किस्त की स्वीकृति शासन द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2004–2005 में योजनान्तर्गत 30 विद्यालयों का लक्ष्य रखा गया हैं।

2. सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतंत्रों के सहयोग से कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान :

वर्ष 2000–2001 में इस योजना का विस्तार करते हुए कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में भी कन्या विद्यालय खोलने की योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत 541 न्याय पंचायतों की चिन्हित करते हुए 456 विकास खण्डों की दूसरी न्याय पंचायत में विद्यालय स्थापना हेतु

कार्यकारी सिद्धान्त के अनुसार जनपदीय समिति द्वारा चयनित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। वर्ष 2004–2005 तक योजनान्तर्गत 138 विद्यालयों को प्रथम किस्त के रूप में रू0 1380.00 लाख की तथा 36 विद्यालयों को द्वितीय किस्त के रूप में रू0 36.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण :

वर्तमान में प्रदेश के मैदानी जनपदों में सम्प्रति 90 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसे संचालित हैं जिनके पास या तो अपने भवन नहीं है अथवा उनके भवन अपर्याप्त तथा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जिनके निर्माण/पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 52 चालू कार्यों में 12 भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया गया है। वर्ष 2003–2004 तथा वर्ष 2004–2005 में क्रमशः 4 एवं 5 विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है।

4. विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण :

माध्यमिक स्तर पर दस वर्षीय पाठ्यक्रम लागू कर दिये गये जाने से हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा स्तरोन्नयन एवं गुणात्मक सुधार करने की दृष्टि से जिन विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं नहीं है उनमें विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। नवीं पंचवर्षीय योजना काल में 49 विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया गया है। इस योजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2003–2004 में 4 प्रयोगशालाओं तथा वर्ष 2004–2005 में 6 प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु स्वीकृति शासन द्वारा जारी की गई।

5. असेवित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल स्तर पर क्रमोन्नयन (बालक/बालिका) :

बालिका शिक्षा के विस्तार के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे असेवित विकास खण्ड जहाँ पर कोई भी बालिका हाईस्कूल/इण्टर कालेज संचालित नहीं है, वहाँ पर बालिका शिक्षा हेतु राजकीय बालिका हाईस्कूल की स्थापना करने के उद्देश्य से इस योजना की प्रारम्भ किया गया था लेकिन प्रदेश की वित्तीय संसाधनों की दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा चिन्हित 426 असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतन्त्र के सहयोग से कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत नवीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से 1999–2000 तक सभी चिन्हित असेवित विकास खण्डों में राजकीय/अशासकीय कन्या हाईस्कूलों की स्थापना करके आच्छादित किया जा चुका है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2004–2005 में एक राजकीय हाईस्कूल की स्थापना की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है।

6. राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण :

दसवीं पंचवर्षीय योजना में विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर से इण्टर स्तर पर उच्चीकृत योजनान्तर्गत वर्ष 2004–2005 में 3 हाईस्कूल को इण्टरस्तर पर उच्चीकृत किया गया है।

7. विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट :

यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की शत प्रतिशत वित्तीय सहायता से संचालित किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं की कम्प्यूटर की सहायता से विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य कराया जाता है तथा कम्प्यूटर की परिचयात्मक जानकारी छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करायी जाती है।

सर्वप्रथम प्रदेश के दो जनपद लखनऊ एवं इलाहाबाद में इस परियोजना को संचालित किया गया है जिसके अन्तर्गत 20–20 राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में योजना का प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत प्रत्येक विद्यालय की एक सरवर, 10 कम्प्यूटर लेन कनेक्टीविटी के साथ, लेजर प्रिन्टर, वी सेट एण्टीना आदि उपलब्ध कराया गया है। जनपद लखनऊ तथा इलाहाबाद के राजकीय जुबली इण्टर कालेज, लखनऊ/राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद में एक–एक ट्रेनिंग लैब की भी स्थापना की गई है जिसमें विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं समस्त अध्यापकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं 5 अध्यापकों कुल मिलाकर 220 प्रधानाचार्यों/अध्यापकों को कम्प्यूटर शिक्षा से प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे भी जारी रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट हेतु वर्ष 2002–2003 में भारत सरकार द्वारा रू0 31.75 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। जुलाई, 2003 से विद्यावाहिनी योजना का लगातार क्रियान्वयन किया जा रहा है।

8. माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों की व्यवस्था :

प्रदेश में स्थापित 548 शासकीय तथा 4474 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित है। जिसमें 134899 अध्यापक एवं अध्यापिकाएं कार्यरत हैं। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक छात्र का अनुपात वर्तमान में 1:43 है जबकि भारत में यह अनुपात 1:34 है। इस विषमता को दूर करने हेतु राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित मानदेय देकर विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इस योजनान्तर्गत कार्यरत विषय विशेषज्ञों को रू0 5000.00 प्रति माह प्रति विषय विशेषज्ञों को 10 माह का मानदेय दिया जाता है। वर्तमान में 2323 विषय विशेषज्ञ कार्यरत हैं जिनके मानदेय भुगतान हेतु वर्ष 20004–2005 में रू0 900.00 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गई है।

9. कन्या विद्याधन योजना :

प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या विद्याधन योजना वित्तीय वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की वर्ष 2004 की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण एक लाख बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु रू0 20,000/– प्रति छात्रा अनुदान देने का लक्ष्य है। इस योजनान्तर्गत रू0 50.00 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से निर्गत की जा चुकी है जिसका आवंटन जनपदों को निर्गत कर दिया गया है।

10. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना :

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 30.10 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिससे प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय पर एक कम्प्यूटर लैब का निर्माण कराया जा रहा है। प्रत्येक लैब में 50 कम्प्यूटर सिस्टम तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जायेगा। इन कम्प्यूटर लैब में कक्षा 6 से 12 तक के संस्थागत छात्र/छात्रा प्रत्येक सप्ताह में दो घण्टे कुल मिलाकर वर्ष में 50 घण्टे की शिक्षा ग्रहण करेंगे। रविवार को व अन्य अवकाश के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2001–2002 में 42 जनपदो में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु शासन द्वारा रू0 284.34 लाख, वर्ष 2002–2003 में 14 जनपदों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना तथा वर्ष 2003–04 में 2031.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

11. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण :

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिये 33.73 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस अनुदान से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था, शौचालयों का निर्माण बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, विज्ञान उपकरण का क्रय तथा फर्नीचर एवं साज–सज्जा की व्यवस्था की गयी है। विभिन्न वर्षों में स्वीकृत धनराशि एवं कार्यों का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	मद	संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)	व्यय की गई धनराशि (लाख रू0 में)	अभ्युक्ति
	वर्ष 2000–01				
1.	विद्यालय भवनों का निर्माण	18	1217.40	1217.40	कार्य पूर्ण
2.	प्रयोगशाला का निर्माण	14	139.16	139.16	कार्य पूर्ण
	योग		**1356.56**	**1356.56**	
	वर्ष 2001–02				
1.	विद्यालय भवनों का निर्माण	9	602.07	602.07	कार्य पूर्ण
2.	प्रयोगशाला का निर्माण	2	29.54	29.54	कार्य पूर्ण
	योग		**631.61**	**631.61**	

	वर्ष 2002–03				
1.	विद्यालय भवनों का निर्माण	7	508.73	508.73	कार्य पूर्ण
2.	प्रयोगशाला का निर्माण	5	44.87	44.87	कार्य पूर्ण
3.	विज्ञान उपकरण एवं साज–सज्जा	92	104.00	104.00	कार्य पूर्ण
4	बाउण्ड्री वाल का निर्माण	7	35.00	35.00	कार्य पूर्ण
5.	अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	7	10.31	10.31	कार्य पूर्ण
	योग		**702.91**	**702.91**	
	वर्ष 2003–04				
1.	विद्यालय भवनों का निर्माण	1	42.65	42.65	कार्य पूर्ण
2	प्रयोगशाला का निर्माण	8	69.86	69.86	कार्य पूर्ण
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	5	7.50	7.50	कार्य पूर्ण
4.	पेयजल व्यवस्था	50	37.50	37.50	कार्य पूर्ण
5.	शौचालय निर्माण	45	10.80	10.80	कार्य पूर्ण
6.	बाउण्ड्री वाल	6	30.00	30.00	कार्य पूर्ण
7.	विज्ञान उपकरण	60	89.00	89.00	कार्य पूर्ण
8.	साज–सज्जा (फर्नीचर)	115	115.00	115.00	कार्य पूर्ण
	योग		**402.31**	**402.31**	

12. माध्यमिक शिक्षा परिषद :

प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं की पवित्रता एवं सुचिता बनाये रखने के लिये कटिबद्ध है। इस सम्बन्ध में फर्जी छात्रों के प्रवेश पर रोक, परीक्षा के आवेदन–पत्रों की सघन जांच तथा फर्जी छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित कराने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण की वर्तमान नीति को परिवर्तित कर अच्छी ख्याति वाली शिक्षण संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है। इन परीक्षाओं के मूल्यांकन पद्धति को और अधिक वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय बनाये जाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं, लगभग 50 वर्ष बाद मई माह में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा 2004 के परीक्षाफल घोषित कर दिये गये हैं। परीक्षा से सम्बन्धित कार्यों के पारिश्रमिक को सी0वी0एस0ई0 के समकक्ष किया गया।

प्रदेश में पठन–पाठन के वातावरण को सृजित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम– 2002 लागू किया गया है जिससे शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक विद्यालयीय शिक्षा को ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आयेगा।

13. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन :

उत्तर माध्यमिक स्तर की संस्कृत शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि के उद्देश्य से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। अभी तक सभी स्तर की संस्कृत शिक्षा का कार्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा देखा जा रहा था और संस्कृत शिक्षा के प्रबन्धन में कठिनाई हो रही थी। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा प्रथमा, पूर्व माध्यमा और उत्तर मध्यमा कक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था और इन संस्थाओं की मान्यता, परीक्षा तथा अध्यापकों के अनुमोदन आदि का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। परिषद द्वारा वर्ष 2004 की प्रथम से उत्तर मध्यमा स्तर की परीक्षायें सम्पन्न करायी गयी।

14. शैक्षिक कार्यक्रमों का सुगम तथा प्रभावी क्रियान्वयन :

शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य से परिचित होने तथा उससे जुड़ी समस्याओं से अवगत होने के उद्देश्य से शिक्षा अधिकारियों, शिक्षा संगठनों, प्रधानाचार्य परिषद, महासभा तथा शिक्षाविदों से सीधा संवाद प्रारम्भ किया गया है। हमारा यह मत है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमसहमति से निर्णय लिया जाय ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों का सुगम तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्गों से संवाद करने से उनके दीर्घकालीन अनुभव का लाभ नये शैक्षिक कार्यक्रमों की संरचना एवं प्रभावी क्रियान्वयन में प्राप्त हो सकेगा।

15. शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था :

ज्ञान विस्फोट के कारण यह आवश्यक हो गया है कि हमारे शिक्षकों को समय-समय पर सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। इससे शिक्षकों का ज्ञानवर्द्धन होगा और वे नवीन आयामों से छात्रों को परिचित करा सकेंगे। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में वृहत कार्ययोजना तैयार कराकर शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

16. परीक्षाफल में सुधार लाया जाना :

शैक्षिक वातावरण सृजन एवं शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन की दृष्टि से निर्णय लिया गया है कि जिन अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का परीक्षाफल संतोषजनक नहीं रहा है उन्हें परीक्षाफल में सुधार के अवसर दिये जाने के बाद भी परीक्षाफल में सुधार नहीं होता है तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण के लिए गम्भीरता से विचार किया जायेगा। अतः शिक्षा के स्तरोन्नयन के साथ-साथ हमें अपने विद्यालयों के परीक्षाफल की उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है, तभी हमारे छात्र 21 वीं सदी की दौड़ में अपना स्थान बना पाने में सफल हो सकेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा योजना

- वर्ष 1989–90 से संचालित।
- + 2 स्तर पर कक्षा 11 एवं 12 में योजना का कार्यान्वयन।
- योजनानतर्गत 6 चरणों में 163 राजकीय विद्यालयों तथा 729 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों कुल मिलाकर 892 विद्यालयों में आच्छादन। सप्तम चरण हेतु 100 विद्यालयों का चयन कर वर्कशेड निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।
- 892 विद्यालयों में विभिन्नं 35 ट्रेड संचालित किये जा रहे हैं जिसमें लगभग 3700 विषय विशेषज्ञ (अनुदेशक) 1500 रूपये प्रतिमाह के मानदेय पर कार्यरत हैं तथा इस योजना में लगभग 50,000 छात्र–छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।
- विगत वर्षों की छात्र संख्या एवं परीक्षाफल :

वर्ष	कक्षा 11–12 में छात्र संख्या	कक्षा– 12 के परीक्षाफल का प्रतिशत
1998–1999	49,990	69
1999–2000	62,625	75
2000–2001	46,200	80
2001–2002	46,400	92
2002–2003	45,174	86
2003–2004	44,200	89.64

टिप्पणी– वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाने के फलस्वरूप छात्र संख्या में कमी हुई है।

- प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 4 ट्रेडों एवं न्यूनतम 2 ट्रेडों का संचालन।
- प्रत्येक ट्रेड के लिए एक वर्कशेड के निर्माण हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि एवं ट्रेड उपकरणों के क्रय हेतु लगभग रू0 1.00 लाख की धनराशि अनावर्तक व्यय के रूप में एक मुश्त विद्यालय को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।
- कच्चे माल के लिए प्रतिवर्ष रू0 3000 की धनराशि एवं प्रति ट्रेड रू0 100 की दर से प्रति छात्र अधिकतम 15 छात्रों के लिए फील्ड विजिट हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान।

- ट्रेडों के शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित अतिथि विषय विशेषज्ञों को रू0 50 प्रति व्याख्यान की दर से एक माह में अधिकतम रू0 1500 तथा सम्पूर्ण वर्ष में 10 माह की धनराशि अधिकतम् दिये जाने का प्राविधान।

- वर्कशेड निर्माण ट्रेड उपकरण, कच्चे माल एवं फील्ड विजिट हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का शत–प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना तथा मानदेय की धनराशि का 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना।

- वर्ष 1989–90 के प्रारम्भ में 35 ट्रेडों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया। कालान्तर में कुछ ट्रेडों में छात्र संख्या न्यून होने के कारण संचालित होने वाले ट्रेडों की संख्या 16 कर दी गयी।

- शैक्षिक वर्ष 2002–2003 से सप्तम् चरण में चयनित किये जाने वाले विद्यालयों में केवल निम्नलिखित 10 उपयोगी ट्रेडों को ही रखा गया है :–

1. फल एवं खाद्य संरक्षण
2. परिधान रचना एवं सज्जा
3. आशुलिपिक एवं टंकण
4. बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरिटरी तकनीक सहित)
5. रंगीन फोटोग्राफी
6. रेडियों एवं रंगीन टी0वी0
7. बुनाई तकनीक व हैण्ड इम्ब्रायडरी तकनीक
8. कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टीनेंस (डाटा एन्ट्री प्रोसेस)
9. कृषि यंत्र एवं डीजल इंजन आदि की मरम्मत एवं रख–रखाव
10. घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव।

कम्प्यूटर "क्लास प्रोजेक्ट" योजना

- भारत सरकार के सहयोग से कम्प्यूटर क्लास प्रोजेक्ट योजना की स्वीकृति।

- प्रथम चरण में 150 राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में योजना शैक्षिक सत्र 2004–2005 से लागू की जा रही हैं।

- राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त 300 इण्टरमीडिएट विद्यालयों का चयन, मानकों का निर्धारण किया जा चुका है।

- लखनऊ एवं इलाहाबाद में 20–20 विद्यालयों का चयन कर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम स विद्या वाहिनी कम्प्यूटर परियोजना प्रारम्भ की जा रही है। इन दो जनपदों को छोड़कर क्लास प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लगभग प्रत्येक जनपद से न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 6 विद्यालयों का चयन किया गया है।

- भारत सरकार का वित्तीय अंशदान 75 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश सरकार का अंशदान 25 प्रतिशत है। प्रोजेक्ट यूनिट कास्ट प्रति विद्यालय रू0 6.70 लाख है।

- भारत सरकार द्वारा रू0 10 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिसकी प्रथम किस्त रू0 7.50 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में एवं 2.50 करोड़ की धनराशि राज्यांश के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रोजेक्ट में प्रति विद्यालय 10 कम्प्यूटर्स आवश्यकतानुसार यू0पी0एस0 एवं डाट मेट्रिक्स प्रिन्टर आदि सामग्रियाँ उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

- माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 9–10 एवं कक्षा 11–12 का पाठ्यक्रम अनुमोदित एवं कक्षा 6–8 का पाठ्यक्रम एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा तैयार करने के पश्चात् अनुमोदित किये जाने की प्रक्रिया में है।

- कम्प्यूटर शिक्षा का परिचयात्मक पाठ्यक्रम समस्त बच्चों के लिए तैयार किया गया है तथा कक्षा; 9–12 तक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, भूगोल आदि विषयों का शिक्षण कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से कराया जाना विचाराधीन है।

- विद्यालय द्वारा निःशुल्क 20 फीट × 25 फीट पक्का सुरक्षित कक्ष उपलब्ध कराया जायेगा।

विज्ञान शिक्षा में सुधार योजना

- वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में भारत सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत विद्यालयों को विज्ञान उपकरण तथा विज्ञान शिक्षण की पुस्तकों (विज्ञान एवं गणित) के क्रय हेतु प्रथम बार रू0 6.30 करोड़ का अनुदान 1337 विद्यालयों के लिए प्रदान किया गया था।

- प्रति विद्यालय विज्ञान उपकरण एवं विज्ञान शिक्षण की पुस्तकों हेतु रू0 25,000/ की यूनिट कास्ट थी, जिसका शत प्रतिशत उपभोग तत्समय कर लिया गया था।

- वर्ष 1999–2000 में 840 माध्यमिक विद्यालयों को केवल विज्ञान उपकरण क्रय करने हेतु रू0 30,000/– प्रति विद्यालय की दर से कुल रू0 2.52 करोड़ की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी जिसका उपभोग भी किया जा चुका है। वर्ष 2003–2004 में रू0 2.70 करोड़

की धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत की गई थी जिसका उपभोग किया जा चुका है। इस धनराशि से प्रदेश के 108 शासकीय एवं 1392 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, गणित एवं कम्प्यूटर की पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

- प्रारम्भ वर्ष – 1961–62
- क्षेत्र – राज्य सरकर द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय
- अवधि – दो वर्ष (पूर्ण कालिक छात्रों के लिये)
- पात्रता – हाईस्कूल परीक्षा के प्राप्तांकों का श्रेष्ठताक्रम
- छात्रवृत्ति संख्या – 4550
- दर – 1 गैर छात्रवासीय – 60.00 रू0

  2. छात्रवासीय– 100.00 रू0

- वर्ष 1996–97 में उत्तर प्रदेश सरकार का व्यय स्तर रू0 71.10 लाख।
- इस स्तर से अधिक व्यय होने वाली धनराशि ही भारत सरकार द्वारा देय।
- वर्ष 2000–2001 के बाद भारत सरकार से अनुदान अप्राप्त।
- भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का अंशदान 60:40 का है।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना

- वर्ष 1974 से प्रारम्भ।
- वर्ष 1982 से योजना को शिक्षा विभाग के माध्यम से भी संचालित किया जाने लगा।
- उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में यह योजना वर्ष 1985–86 से प्रारम्भ हुई।
- केवल 2 विद्यालयों– राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद तथा राजकीय इण्टर कालेज मेरठ, में इस योजनान्तर्गत 10 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करके कुल 27 विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था तत्समय की गयी थी। तदोपरान्त 5 अन्य विद्यालयों में इस योजना का विस्तार किया गया था।
- इस तरह से 7 माध्यमिक विद्यालयों में 17 वर्ष पूर्व योजना प्रारम्भ की गयी थी।

- वर्ष 1995 में इस योजनान्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक समेकित प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया था।

- वित्तीय वर्ष 2004–05 में भी इस योजनान्तर्गत रू0 18.42 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

- विकलांग बच्चों के लिए उक्त प्रस्ताव में यंत्र, उपकरण, पुस्तकीय एवं यूनीफार्म के रूप में सहायता हेतु निम्नवत् व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है–

  1. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 489 विकलांग बच्चों के आने–जाने के लिए रू0 500/– प्रतिवर्ष की दर से आवागमन भत्ता।
  2. 489 विकलांग बच्चों के यंत्र/उपकरण हेतु रू0 2000/–प्रति छात्र की दर से एक मुश्त सहायता।
  3. 489 विकलांग बच्चों के लिए रू0 400/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष पुस्तकीय एवं लेखन सामग्री आदि की सहायता।
  4. 489 विकलांग बच्चों के लिए प्रति वर्ष 2 यूनीफार्म हेतु रू0 200/– प्रति बालक/बालिका प्रति वर्ष सहायता।
  5. 52 विकलांग बच्चों के लिए रू0 500/– प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष की दर से रीडर भत्ता।
  6. इसके अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विकलांग बच्चों के अभिभावकों के मध्य इस योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु रू0 3.0 लाख की धनराशि की व्यवस्था।

- विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा के चयन हेतु उनके शैक्षिक मूल्यांकन हेतु एवं उनको उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं की गुणवत्ता की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन प्रस्तावित है।

- जिले के सी0एम0ओ0 अथवा उनके द्वारा अधिकृत बालरोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ तथा शैक्षिक प्रशासकों की सेवायें इस योजना के संचालन में ली जायेगी।

- शिक्षा विभाग में कार्यरत मण्डलीय मनोवैज्ञानिकों एवं राज्य स्तरीय मनोविज्ञानशाला की सेवायें भी आवश्यकतानुसार समय–समय पर ली जायेगी।

- सम्प्रति 489 विकलांग बच्चों के लिए ही अनुदान की मांग भारत सरकार से की गयी है।

नेशनल फिटनेस कोर योजना

- विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को क्रीड़ा क्षेत्र के विभिन्न विद्याओं में प्रशिक्षित किये जाने एवं खेल–कूद के उन्नयन हेतु वर्ष 1972 से यह योजना प्रारम्भ की गयी थी।
- भारत सरकार की वित्तीय सहायता शतप्रतिशत है।
- भारत सरकार द्वारा चयनित एवं नियुक्त 802 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को वर्ष 1972 से उत्तर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित किया गया था।
- वर्ष 1976 से इन समस्त शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को शिक्षा विभाग में समायोजित कर लिया गया था।
- तदोपरान्त इस योजनान्तर्गत कार्यरत अनुदेशकों/कर्मचारियों के वेतन की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा उनके सेवानिवृत्त होने तक के लिए की जा रही है।
- प्रदेश शासन द्वारा इस योजना के संचालन हेतु प्रति वर्ष आवश्यक धनराशि का प्राविधान कराया जाता है। वर्ष 2004–2005 में रू0 60.00 लाख का बजट प्राविधान अनुपूरक माँग से कराया गया है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1972–73 से 1999–2000 तक वेतनादि में व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 51.89 करोड़ की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा नहीं दी गयी है।
- शैक्षिक सत्र 2004–2005 से कक्षा 6–12 तक खेल को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।
- प्रत्येक जनपद में एक खेल विद्यालय का चयन किया गया है जो खेल संस्था के रूप में कार्य करेगा।

माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का संचालन

- प्रदेश में वर्तमान में चार प्रकार की कम्प्यूटर शिक्षा योजनाएं संचालित/प्रस्तावित हैं –

1. क्लास प्रोजेक्ट योजना।
2. 11 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कम्प्टूर लैब योजना
3. भारत सरकार के आई0टी0 मंत्रालय के अन्तर्गत विद्यावाहिनी योजना।
4. कम्प्यूटर साक्षरता योजना।

- क्लास प्रोजेक्ट योजना केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत के आधार पर प्रथम चरण में 150 राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में माह अगस्त, 2004 से संचालित की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में रू0 6.70 लाख की दर से कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा उपकरणों जैसे– यू0पी0एस0, जनरेटर तथा फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 7.50 करोड़ की प्रथम किस्त एवं राज्य सरकार का अंश रू0 2.50 करोड, कुल मिलाकर रू0 10.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

- 11 वें वित्त आयोग कम्प्यूटर लैब योजना दो भागों में विभक्त है :–

  1 कम्प्यूटर हाल का निर्माण।

  2. कम्प्यूटर हार्डवेयर व अन्य उपकरणों की स्थापना।

प्रत्येक जनपद मुख्यालय के राजकीय विद्यालय में प्रति विद्यालय 9 मी0 × 11 मी0 का कम्प्यूटर हाल तथा 50–50 कम्प्यूटर मशीनें एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रति विद्यालय रू0 43.00 लाख की दर से कुल रू0 30.10 करोड़ का अनुदान अवमुक्त किया जा चुका है।

- विद्यावाहिनी योजनान्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के माध्यम से जनपद लखनऊ एवं जनपद इलाहाबाद के 20–20 राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में एक सरवर एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में एक सरवर एवं 10 कम्प्यूटर मशीनें वी–सैट एण्टीना सहित उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं कम्प्यूटर शिक्षण सामग्रियाँ भी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। जुलाई 2003 से विद्या वाहिनी योजना का लगातार कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- कम्प्यूटर साक्षरता योजना प्रदेश सरकार द्वार शत–प्रतिशत पोषित है। 83 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5–5 कम्प्यूटर अपट्रान के माध्यम से स्थापित कराकर वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में अपट्रान द्वारा ही संचालन/शिक्षण कराया गया था। वर्तमान में उक्त योजना विद्यालयों के निजी श्रोतों यथा पी0टी0ए0 फण्ड आदि से चलाई जा रही है।

- क्लास प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत 150 विद्यालयों, 11 वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत 70 राजकीय विद्यालयों एवं कम्प्यूटर साक्षरता योजनान्तर्गत 5 राजकीय विद्यालयों के लिए कुल मिलाकर 225 विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों का क्रय यू0पी0 डेस्को के माध्यम से कराया जा रहा है।

- विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के संचालन हेतु कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली विभिन्न ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की एजेन्सियों का यू0पी0 डेस्को के माध्यम से निविदाएं आदि आमंत्रित कर चयन भी साथ ही साथ प्रक्रिया में है।

चयनित एजेन्सियों के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का शिक्षण/प्रशिक्षण छात्र/छात्राओं को कराया जाएगा। इसके लिए छात्र/छात्राओं से एक समान यूजर चार्जेस लिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

यू0पी0 बोर्ड द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की कक्षाओ हेतु कम्प्यूटर शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है तथा छात्र/छात्राओं द्वारा इच्छुक विषय के रूप में कम्प्यूटर शिक्षा का विषय लेकर लगातार पिछले दो वर्षो से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा सम्मिलित हो रहे हैं।

अध्याय- 3
पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

दूर शिक्षा युग सापेक्ष सुलभ शिक्षा के मार्ग पर निरन्तर प्रगति करती जा रही है। सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना की ई है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित और समृद्ध करने के लिए शासन प्रयासरत है।

शासनादेश संख्या मा– 104747/15–6/64–80 दिनांक 17 सितम्बर 1980 के अन्तर्गत पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की गयी है। संस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को अध्ययन की बेहतर सुविधा देने के लिए कृत संकल्प है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के विनियमों में विनियम 35,36,37 तथा 38 बढ़ाकर यह प्राविधान कर दिया गया है कि हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले व्यक्तिगत परीक्षार्थी पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पंजीकरण कराकर विहित प्रक्रिया के अनुरूप अनिवार्य रूप से पत्राचार शिक्षा का अनुसरण करें। इस प्रकार संस्थान पत्राचार प्रविधि द्वारा शिक्षण की प्रभावी व्यवस्था कर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के शैक्षिक स्तर के गुणात्मक एवं धनात्मक वृद्धि शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुरूप करने का कार्य कर रहा है। संस्थान सम्प्रति स्वयं पाठियों के लिए उच्च कोटि का पाठ्य सामग्री का निर्माण तथा प्रेषण करते हुए दूर शिक्षा के दर्शन को मूर्त रूप देने का प्रयत्न कर रहा है।

वर्ष 1984, इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा हेतु साहित्यिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए 12 विषयों में पत्राचार शिक्षा व्यवस्था की गयी। वर्ष 1985 की परीक्षा हेतु साहित्यिक वर्ग के तीन अतिरिक्त विषयों को इस व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। वर्ष 1986 की परीक्षाओं के लिए इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए 15 विषयों की शिक्षण सुविधा प्रदान की गयी। वर्ष 1987 की इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए पत्राचार शिक्षण की व्यवस्था रचनात्मक तथा ललित कला वर्ग में भी प्रारम्भ की गई। वर्ष 1990 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्गों को भी सम्मिलित कर लिया गया। सम्प्रति मानविकी वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग में पत्राचार शिक्षा सामान्य योजना दो वर्षीय/एकवर्षीय पाठ्यक्रम के संचालन द्वारा स्वयंपाठियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के दायित्व का संस्थान निर्वहन कर रहा है।

1. **पत्राचार शिक्षा दो वर्षीय योजना** : इसमें हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दो शैक्षिक सत्रों के लिए पंजीकरण किया जाता है।

2. **पत्राचार शिक्षा एक वर्षीय योजना** : इसमें कक्षा 11 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का एक वर्ष के लिए पंजीकरण किया जाता है। शासनादेश संख्या 3146/15–7–2(2)/2000 दिनांक 4, दिसम्बर, 2000 के अनुसार कक्षा 11 उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण स्वयंपाठियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक वर्षीय पत्राचार शिक्षा योजना परीक्षा वर्ष 2002 से प्रारम्भ की गई है।

वर्ष 2005 की परीक्षा हेतु दो वर्षीय योजना में पंजीकरण का कार्य जनवरी, 2004 से तथा एकवर्षीय योजना में पंजीकरण का कार्य जुलाई, 2004 से प्रारम्भ किया गया था। सम्प्रति पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग के निम्नांकित विषय आच्छादित किये गये हैं :–

(क) मानविकी वर्ग

1. अनिवार्य विषय– हिन्दी
2. संस्कृत
3. उर्दू
4. अंग्रेजी
5. इतिहास
6. नागरिकशास्त्र
7. अर्थशास्त्र
8. संगीत गायन
9. संगीत वादन
10. चित्रकला आलेखन
11. चित्रकला प्राविधिक
12. रंजनकला
13. समाजशास्त्र
14. गृह विज्ञान
15. भूगोल
16. मनोविज्ञान
17. शिक्षा शास्त्र
18. काष्ठ शिल्प
19. ग्रन्थ शिल्प
20. सिलाई

(ख) वैज्ञानिक वर्ग

1. अनिवार्य विषय– समान्य हिन्दी
2. भौतिक विज्ञान
3. रसायन विज्ञान
4. जीव विज्ञान
5. गणित

(ग) वाणिज्य वर्ग

1. अनिवार्य विषय– सामान्य हिन्दी

वैकल्पिक विषय :

2. बहीखाता तथा लेखाशास्त्र
3. व्यापारिक संगठन एवं पत्रव्यवहार

निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय–

5. अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल
6. अधिकोषण तत्व
7. औद्योगिक संगठन

पत्राचार शिक्षा केन्द्र :

वर्ष 1988 परीक्षा वर्ष तक पत्राचार शिक्षा व्यवस्थान्तर्गत स्वयंपाठी पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग–अलग जनपदीय पत्राचार शिक्षा केन्द्र प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालय पर स्थित राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज में स्थापित किये गये। जहां पर राजकीय इण्टर कालेज बालक/बालिका नहीं है, वहां पर नाम निर्दिष्ट अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को जनपदीय पत्राचार शिक्षा केन्द्र के रूप में मनोनीत किया गया था। इस प्रकार 1997–98 तक कुल 112 पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र थे। पत्राचार अभ्यर्थियों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में तहसील स्तर पर पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों को पंजीकरण सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से प्रति तहसील दो विद्यालय केन्द्र जिसमें यथा सम्भव एक बालिका विद्यालय हो, के आधार पर सम्प्रति प्रदेश में कुल 429 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

छात्रों का पंजीकरण :

वर्ष 2004–05 में इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु दोनों योजनाओं में पंजीकृत पत्राचार स्वयंपाठियों की संख्या निम्नवत है:–

1. पत्राचार दो वर्षीय योजना– 9965
2. पत्राचार एकवर्षीय योजना– 2513

पत्राचार पाठ्य सामग्री का निर्माण :

पत्राचार पाठ्य सामग्री का निर्माण सभी विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रमों को सुविधाजनक सात इकाईयों में विभक्त कर विद्वानों द्वारा कराया जाता हे। प्रतिवर्ष संस्थान द्वारा आच्छादित विषयों की परामर्शदात्री समितियों द्वारा पाठ्य सामग्री का परिमार्जन एवं संशोधन तथा परिवर्धन माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के पाठ्यक्रम के अनुरूप कराया जाता है। इसके पश्चात् प्रत्येक इकाई को मुद्रित कराकर पंजीकृत स्वयंपाठी को उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्रों की प्रत्येक इकाई के अन्त में छात्र उत्तर पत्र संलग्न होता है, जिसे हल करके स्वयंपाठी अपने पत्राचार पंजीकरण केन्द्र पर जमा करता है। केन्द्रों पर उनका मूल्यांकन कराकर प्रति पुष्टि में निर्देश सहित स्वयंपाठी को उनके उत्तर पत्र प्रत्यावर्तित कर दिये जाते हैं।

मूल्यांकन उत्तर पत्रों को प्राप्त कर स्वयंपाठी अपने ज्ञान स्तर का आंकलन और वांछित सुधार का प्रयत्न करते हैं।

सम्पर्क शिविर :

अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में पंजीकृत स्वयंपाठियों की अध्ययनगत कठिनाईयों को दूर करने के लक्ष्य से संस्थान द्वारा प्रदेश के पंजीकरण केन्द्रों के माध्यम से छात्र/छात्राओं के लिए पत्राचार दोवर्षीय योजना के अन्तर्गत पृथक–पृथक दस दिवसीय सम्पर्क शिविरों का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है तथा पत्राचार एक वर्षीय योजना में दस दिवसीय एक शिविर आयोजित किया जाता है।

वर्ष 2005 की दोवर्षीय योजना में इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्र/छात्राओं के लिए प्रथम एवं द्वितीय सम्पर्क शिविर जनवरी, 2005 में आयोजित किया जा चुका है।

विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए प्रयोगात्मक कार्य हेतु 10–10 दिन के चार सम्पर्क शिविर 1990 से आयोजित किये जा रहे हैं। वर्ष 2005 इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग के व्यक्तिगत स्वयंपाठियों हेतु चार विज्ञान प्रयोगात्मक सम्पर्क शिविर दिसम्बर, 2004 से जनवरी, 2005 तक आयोजित किये गये।

अल्पव्ययी शिक्षा विधा :

पत्राचार शिक्षा विद्या अल्पव्ययी विधा है। संस्थागत छात्रों पर पड़ने वाले शैक्षिक व्यय का तुलनात्मक अध्ययन पत्राचार शिक्षार्थियों पर पड़ने वाले व्यय से कराया गया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि पत्राचार शिक्षा पर पड़ने वाले शैक्षिक व्यय अपेक्षाकृत कम है।

गुणात्मक एवं स्तरीय शिक्षा :

पत्राचार शिक्षा द्वारा दूरस्थ स्वयंपाठियों को उत्तम एवं गुणवत्ता पूर्ण पाठ्य सामग्री का अध्ययन कराया जाता है। मूल्यांकन एवं निर्देशन तथा सम्पर्क शिविरों में कठिनाईयों का निराकरण कराया जाता है, जिससे स्वयंपाठियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। विगत वर्षों में पंजीकृत स्वंयपाठियों का परीक्षा परिणाम अतीव उत्साहवर्धक रहा जो इस शिक्षा की उत्कृष्टता का प्रमाण है।

अध्याय- 4
पुस्तकालय

प्रदेश के निर्धन, किन्तु प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने वर्ष 1949 में पुस्तकालयों की स्थापना का निर्णय लिया। इस निर्णय के फलस्वरूप वर्ष 1949 में केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, उ0प्र0 इलाहाबाद की स्थापना हुई। तब से 30 सितम्बर, 2004 तक इस पुस्तकालय में कुल 11179 सदस्य पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश सदस्य बी0ए0/बी0एस0–सी0/एम0ए0/एम0एस–सी0/एम0काम0 स्तर के विद्यार्थी हैं, जो इस पुस्तकालय से नियमित अध्ययन का लाभ उठाते रहे हैं तथा वर्तमान में भी लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त अनेक शोध छात्र/छात्राएं व सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी एवं सामान्य पाठकगण तथा पुस्तकालय के सदस्यगण भी निरन्तर लाभ उठा रहे हैं।

इस पुस्तकालय के सम्बन्ध में विस्तृत ज़ानकारी हेतु सूच्य है कि दो प्रकार के सदस्य पुस्तकालय में पंजीकृत किये जाते हैं :–

क. 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क सदस्य, जिनके अध्ययन हेतु पुस्तकालय में बाल कक्ष की स्थापना की गयी है। इस वर्ग के सदस्य रू0 50/– की सुरक्षित निधि जमा करके पुस्तकालय की बाल सदस्यता हेतु पंजीकरण कराते हैं।

ख. 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य, जो रू0 100/अथवा रू0 200/– की सुरक्षित निधि जमा करके पुस्तकालय की सदस्यता हेतु पंजीकरण कराते हैं।

उक्त सन्दर्भ में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूच्य है कि 30 सितम्बर, 2004 तक पुस्तकालय के नियमित पंजीकृत पुस्तकालय के सदस्यों ने 25,499 पुस्तकें निर्गत करवायीं तथा पाठकों द्वारा 31,600 पुस्तकें पढ़ी गयीं।

30 सितम्बर, 2004 तक इस पुस्तकालय में हिन्दी की 2776, अंग्रेजी की 30720, उर्दू की 1,504 तथा बाल–सदस्यों हेतु 9483 कुल योग 69483 पुस्तकों का पर्याप्त संग्रह है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह पुस्तकालय प्रदेश के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्र/छात्राओं सहित सभी प्रकार के पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रहा है। यह पुस्तकालय निश्चित रूप से सर्वसाधारण हेतु शिक्षा का वरदान है, जिसका लाभ वास्तविक रूप से समस्त पाठक एवं साहित्यकारगण तथा जन सांधारण द्वारा निःशुल्क उठाया जा रहा हैं तथा शिक्षा विभाग का यह अंग अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णरूपेण सफल कहा जा सकता है।

तालिका–1

राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं अशासकीय असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

विद्यालय	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8
बालक	833	1489	2834	4420	5113	6958	10127
बालिका	154	282	581	758	886	1501	2639
योग	**987**	**1771**	**3415**	**5178**	**5999**	**8459**	**12766**

तालिका–2

राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं अशासकीय असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या

विद्यालय	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8
बालक	359580	757592	1851759	2752494	3614474	3749591	4760256
बालिका	57825	154485	463977	695829	1145932	1572239	2004102
योग	**417405**	**912077**	**2315736**	**3448323**	**4760406**	**5321830**	**6764358**

तालिका–3

राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं अशासकीय असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक संख्या

अध्यापक	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8
पुरूष	15453	30222	64810	96117	106650	99367	108050
महिला	2774	5854	14836	19747	19522	24149	29852
योग	**18227**	**36076**	**79646**	**115864**	**126172**	**123516**	**137902**

तालिका–4

30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार प्रबन्धानुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

विद्यालय	राजकीय	अशासकीय सहायता प्राप्त	अशासकीय असहायिक (वित्त विहीन)	योग
1	2	3	4	5
बालक	204	3890	6033	10127
बालिका	344	584	1711	2639
योग	**548**	**4474**	**7744**	**12766**

तालिका–5

30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार स्तरानुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

क्रम सं0	विद्यालय का स्तर	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1.	हाईस्कूल	4666	1058	5724
2.	इण्टरमीडिएट	5461	1581	7042
	योग	**10127**	**2639**	**12766**

तालिका–6

30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार जनपदवार/मण्डलवार हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों, विद्यार्थियो एवं अध्यापकों की संख्या

जनपद/ मण्डल	विद्यालयों की संख्या			विद्यार्थियों की संख्या			अध्यापको की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लखनऊ	200	46	246	22423	16463	38886	481	428	909
सीतापुर	62	16	78	15808	6178	21986	506	117	623
लखीमपुर खीरी	37	10	47	26542	12452	38994	323	156	479
हरदोई	86	17	103	26022	9355	35377	337	42	379
उन्नाव	56	15	71	18263	6918	25181	363	124	487
रायबरेली	69	13	82	19709	8531	28290	371	73	444
लखनऊ मण्डल	510	117	627	128767	59957	188724	2381	940	3321
फैजाबाद	48	14	62	19570	7957	27527	379	94	473
अम्बेदकर नगर	56	12	68	10734	4758	15492	318	48	366
सुल्तानपुर	49	22	71	31049	8170	39219	430	62	492
बाराबंकी	42	10	52	10836	5482	16318	353	65	418
फैजाबाद मण्डल	195	58	253	72189	26367	98556	1480	269	1749
गोण्डा	43	12	55	16347	6168	22515	449	139	588
बलरामपुर	15	8	23	8479	1890	10369	101	63	164
बहराइच	28	12	40	15776	7444	23220	125	53	178
श्रावस्ती	12	3	15	4810	1553	6363	108	23	131
देवीपाटन मण्डल	98	35	133	45412	17055	62467	783	278	1061
गोरखपुर	50	22	72	33593	14434	48027	688	226	914
महराजगंज	25	10	35	12156	2781	14937	275	63	338
देवरिया	87	20	107	17610	6789	24399	479	85	564
कुशीनगर	34	7	41	14740	5548	20288	406	29	435
गोरखपुर मण्डल	196	59	255	78099	29552	107651	1848	403	2251
बस्ती	50	10	60	14428	6801	21229	305	105	410
सन्तकबीर नगर	14	7	21	11456	2802	14258	177	64	241
सिद्धार्थ नगर	30	7	37	14759	729	15488	280	65	345
बस्ती मण्डल	94	24	118	40643	10332	50975	762	234	996

आजमगढ़	107	21	128	43130	11792	54922	535	175	710
मऊ	86	10	96	16554	8583	25137	382	59	441
बलिया	73	16	89	17479	8554	26033	185	110	295
आजमगढ़ मण्डल	266	47	313	77163	28929	106092	1102	344	1446
वाराणसी	60	32	92	41497	14386	55883	632	154	786
चन्दौली	32	10	42	17578	5569	23147	287	89	376
गाजीपुर	240	17	257	35791	11995	47786	708	165	873
जौनपुर	92	15	107	38945	13355	52300	806	71	877
वाराणसी मण्डल	424	74	498	131811	45305	177116	2433	479	2912
मिर्जापुर	34	17	51	15403	8437	23840	162	138	300
सन्तरविदासनगर	19	7	26	9242	1851	11093	127	37	164
सोनभद्र	30	8	38	8286	4241	12527	241	64	305
मिर्जापुर मण्डल	83	32	115	32931	14529	47460	530	239	769
मुरादाबाद	156	21	177	26622	12180	38802	838	198	1036
रामपुर	39	11	50	7957	3519	11476	113	62	175
विजनौर	35	19	54	10092	5096	15188	313	125	438
ज्योतिबा फूलेनगर	33	10	43	8969	3839	12808	168	91	259
मुरादाबाद मण्डल	263	61	324	53640	24634	78274	1432	476	1908
इलाहाबाद	218	28	246	36013	10578	46591	866	205	1071
कौशाम्बी	119	13	132	14874	6676	21549	417	102	519
प्रतापगढ़	82	10	92	23243	7639	30882	614	140	754
फतेहपुर	79	11	90	17176	7366	24542	611	100	711
इलाहाबाद मण्डल	498	62	560	91306	32258	123564	2508	547	3055
कानपुर नगर	193	48	241	55348	25673	81021	1555	539	2094
कानपुर देहात	70	10	80	20294	9704	29998	404	92	496
फर्रूखाबाद	59	15	74	36099	9011	45110	369	93	462
कन्नौज	48	14	62	12911	4730	17641	215	118	333
इटावा	58	12	70	12107	6492	18599	385	93	478
औरैय्या	61	10	71	10640	5241	15881	480	60	540
कानपुर मण्डल	489	109	598	147399	60851	208250	3408	995	4403
झाँसी	55	15	70	12443	7319	19762	246	184	430
जालौन	44	17	61	10586	4427	15013	281	92	273

ललितपुर	17	0	17	4410	1937	6347	56	15	71
झाँसी मण्डल	116	32	148	27439	13683	41122	583	291	874
बांदा	23	11	34	9487	3698	13185	275	73	348
चित्रकूट	14	5	19	7164	3257	10421	306	32	338
हमीरपुर	12	11	23	6019	2975	8994	68	16	84
महोबा	18	7	25	3108	1020	4128	118	18	136
चित्रकूटधाम मण्डल	67	34	101	25778	10950	36728	767	139	906
आगरा	144	33	177	36267	24274	60541	727	278	1005
अलीगढ़	146	21	167	17736	8602	26338	426	204	630
हाथरस	50	12	62	16298	5237	21535	323	107	430
फिरोजाबाद	88	11	99	16592	6742	23334	402	131	533
मैनपुरी	53	8	61	14272	5909	20181	202	14	216
मथुरा	82	15	97	21584	9830	31414	808	147	955
एटा	161	14	175	20639	7501	28140	686	157	843
आगरा मण्डल	724	114	838	143388	68095	211483	3574	1038	4612
मेरठ	61	24	85	36967	16827	53794	538	351	889
बागपत	23	12	35	21433	5162	26595	386	164	550
गाजियाबाद	54	17	71	22659	19871	42530	473	227	700
गौतमबुद्धनगर	35	11	44	11632	6921	18553	415	129	544
बुलन्दशहर	87	22	109	34585	19105	53690	890	164	1054
मेरठ मण्डल	258	86	344	127276	67886	195162	2702	1035	3737
सहारनपुर	73	21	94	17288	14137	31425	625	313	938
मुजफ्फरनगर	69	24	93	22648	5183	27831	419	396	815
सहारनपुर मण्डल	142	45	187	39936	19320	59256	1044	709	1753
बरेली	93	24	117	19194	9970	29164	504	61	565
शाहजहाँपुर	63	21	84	14729	7635	22364	567	87	654
बदायूं	53	13	66	13283	5395	18678	545	138	683
पीलीभीत	34	11	45	14210	3445	17655	380	82	462
बरेली मण्डल	243	69	312	61416	26445	87861	1996	368	2364
उत्तर प्रदेश	4666	1058	5724	1324593	556148	1880741	29333	8784	38117

तालिका–7

30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार जनपदवार/मण्डलवार इण्टरमीडिएट स्तर के विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

जनपद/ मण्डल	विद्यालयों की संख्या			विद्यार्थियों की संख्या			अध्यापकों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	पुरूष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लखनऊ	224	67	291	58379	42888	101267	1561	1338	2899
सीतापुर	52	23	75	41158	16083	57241	1411	373	1784
लखीमपुर खीरी	45	15	60	69105	32417	101522	582	145	727
हरदोई	87	25	112	67749	24356	92105	771	141	912
उन्नाव	72	23	95	34532	18009	52541	1161	285	1446
रायबरेली	76	19	95	51317	22338	73655	1253	229	1482
लखनऊ मण्डल	556	172	728	322240	156091	478331	6739	2511	9250
फैजाबाद	70	20	90	50955	20714	71669	1181	271	1452
अम्बेदकर नगर	58	18	76	27945	12387	40332	999	129	1128
सुल्तानपुर	94	32	126	80839	21271	102110	1503	200	1703
बाराबंकी	43	13	56	28214	14270	42484	503	19	522
फैजाबाद मण्डल	265	83	348	187953	68642	256595	4186	619	4805
गोण्डा	47	19	66	42562	16058	58620	690	125	815
बलरामपुर	21	12	33	22077	4919	26996	330	140	470
बहराइच	28	18	46	41075	19378	60453	366	129	495
श्रावस्ती	14	11	25	12525	4041	16566	282	87	369
देवीपाटन मण्डल	110	60	170	118239	44396	162635	1668	481	2149
गोरखपुर	116	32	148	87462	37579	125041	2471	618	3089
महराजगंज	40	14	54	31650	7240	38890	944	134	1078
देवरिया	130	29	159	45849	17675	63524	1499	260	1759
कुशीनगर	70	11	81	38377	14443	52820	1323	98	1421
गोरखपुर मण्डल	356	86	442	203338	76937	280275	6237	1110	7347
बस्ती	61	16	77	37567	17704	55271	1128	183	1311
सन्तकबीर नगर	36	10	46	29827	7292	37119	628	136	764
सिद्धार्थ नगर	37	11	48	38401	1922	40323	970	131	1101
बस्ती मण्डल	134	37	171	105795	26918	132713	2726	450	3176

आजमगढ़	125	30	155	112296	30699	142995	1920	396	2316
मऊ	74	14	88	43100	22345	65445	1248	193	1441
बलिया	86	25	111	45510	22270	67780	767	219	986
आजमगढ़ मण्डल	285	69	354	200906	75314	276220	3935	808	4743
वाराणसी	116	48	164	108045	37452	145497	1576	891	2467
चन्दौली	47	15	62	45761	14502	60263	1040	283	1323
गाजीपुर	205	26	231	87977	31232	119209	2183	341	2524
जौनपुर	159	24	183	101398	34771	136169	2760	243	3003
वाराणसी मण्डल	527	113	640	343181	117957	461138	7559	1758	9317
मिर्जापुर	54	26	80	40100	21968	62068	499	232	731
संतरविदासनगर	37	11	48	24068	4816	2884	369	115	484
सोनभद्र	26	12	38	21572	11043	32615	219	20	239
मिर्जापुर मण्डल	117	49	166	85740	37827	123567	1087	367	1454
मुरादाबाद	243	31	274	69312	31713	101025	962	311	1273
रामपुर	35	17	52	20713	9163	29876	334	278	612
विजनौर	64	27	91	26275	13269	39544	834	407	1241
ज्योतिबा फूलेनगर	31	15	46	23353	9995	33348	468	209	677
मुरादाबाद मण्डल	373	90	463	139653	64140	203793	2598	1205	3803
इलाहाबाद	250	43	293	93764	27540	121304	2839	307	3146
कौशाम्बी	62	19	81	38725	17380	56105	1328	341	1669
प्रतापगढ़	98	16	114	60516	19889	80405	1716	158	1874
फतेहपुर	89	17	106	44720	19178	63898	1595	221	1816
इलाहाबाद मण्डल	499	95	594	237725	83987	321712	7478	1027	8505
कानपुर नगर	182	76	258	144103	66842	210945	2649	1062	3711
कानपुर देहात	77	16	93	52840	25263	78103	1285	304	1589
फर्रूखाबाद	67	23	90	93985	23462	117447	1225	316	1541
कन्नौज	54	21	75	33611	12317	45928	790	298	1088
इटावा	68	19	87	31518	16904	48422	1009	266	1275
औरैय्या	51	15	66	27704	13645	41349	635	106	741
कानपुर मण्डल	499	170	669	383761	158433	542194	7593	2352	9945
झाँसी	45	22	67	32395	19057	51452	982	387	1369
जालौन	62	19	81	27560	11525	39085	1003	199	1202

ललितपुर	22	4	26	11480	5043	16523	188	77	265
झाँसी मण्डल	129	45	174	71435	35625	107060	2173	663	2836
बांदा	31	16	47	24702	9627	34329	494	67	561
चित्रकूट	25	8	33	18653	8479	27132	93	04	97
हमीरपुर	27	15	42	15670	7744	23414	536	67	603
महोबा	13	11	24	8090	2656	10746	315	64	379
चित्रकूटधाम मण्डल	96	50	146	67115	28506	95621	1438	202	1640
आगरा	132	49	181	94426	63199	157625	2465	769	3234
अलीगढ़	120	30	150	46180	22395	68575	1533	393	1926
हाथरस	46	17	63	42431	13635	56066	1015	265	1280
फिरोजाबाद	78	17	95	43199	17553	60752	1412	190	1602
मैनपुरी	64	11	75	37161	15383	52544	973	39	1012
मथुरा	100	21	121	56197	25592	81789	830	192	1022
एटा	100	20	120	53735	19530	73265	1619	246	1865
आगरा मण्डल	640	165	805	373329	177287	550616	9847	2094	11941
मेरठ	120	36	156	96247	43811	140058	1767	1049	2816
बागपत	59	17	76	55801	13439	69240	1461	252	1713
गाजियाबाद	67	27	94	58995	51737	110732	1183	670	1853
गौतमबुद्धनगर	35	17	52	30284	18020	48304	624	203	827
बुलन्दशहर	160	32	192	90046	49741	139787	2957	509	3466
मेरठ मण्डल	441	129	570	331373	176748	508121	7992	2683	10675
सहारनपुर	75	30	105	45010	36806	81816	1319	541	1860
मुजफ्फरनगर	118	36	154	58965	13494	72459	1499	1110	2609
सहारनपुर मण्डल	193	66	259	103975	50300	154275	2818	1651	4469
बरेली	83	35	118	49975	25956	75931	1047	350	1397
शाहजहाँपुर	69	30	99	38349	19877	58226	506	265	771
बदायूं	60	20	80	34583	14045	48628	682	382	1064
पीलीभीत	29	17	46	30998	8968	45966	408	90	498
बरेली मण्डल	241	102	343	159905	68846	228751	2643	1087	3730
उत्तर प्रदेश	5461	1581	7042	3435663	1447954	4883617	78717	21068	99785

तालिका–8

हाईस्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या

परीक्षा	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2004
1	2	3	4	5	6	7	8
1. हाईस्कूल परीक्षा में पंजीकृत संख्या							
लड़के	अनुपलब्ध	215352	483161	707254	1404519	1615188	1775317
लड़कियाँ	अनुपलब्ध	22520	81477	136717	371083	671872	800727
योग	110581	237872	564638	843971	1775602	2287060	2576644
2. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या							
लड़के	अनुपलब्ध	204315	447949	671665	1332617	1531981	1701962
लड़कियाँ	अनुपलब्ध	21526	74824	131799	357980	657574	778018
योग	98534	225841	522773	803464	1690597	2189555	2479980
3. उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या							
लड़के	अनुपलब्ध	89880	169383	231922	702234	410914	1161427
लड़कियाँ	अनुपलब्ध	13860	49262	72589	278985	343502	589583
योग	58234	103740	218645	304511	981219	754416	1751010

स्रोत : माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।

तालिका–9

इण्टरमीडिएट परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या

परीक्षा	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2004
1	2	3	4	5	6	7	8
1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत संख्या							
लड़के	अनुपलब्ध	99600	249683	370586	635315	567205	627196
लड़कियाँ	अनुपलब्ध	13745	51221	103138	211643	384593	403170
योग	41009	113345	300904	473724	846958	951798	1030366
2. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या							
लड़के	अनुपलब्ध	89542	223786	339536	505512	539568	610178
लड़कियाँ	अनुपलब्ध	12282	46421	94574	201592	375974	397131
योग	34464	101824	270207	434110	797104	915542	1007309
3. उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या							
लड़के	अनुपलब्ध	25645	104665	160318	468503	339112	532004
लड़कियाँ	अनुपलब्ध	6557	29281	52550	173560	300793	369615
योग	20523	42202	133946	212868	642063	639905	901619

स्रोत : माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।

तालिका–10

हाईस्कूल परीक्षा 2004

कार्यालय		पंजीकृत			सम्मिलित			उत्तीर्ण			उत्तीर्ण प्रतिशत		
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग
मेरठ	बालक	378214	51930	430144	361496	48385	409881	250135	22780	272915	69.19	47.08	66.58
	बालिका	161841	11052	172893	156147	10387	166534	118023	6015	124038	75.58	57.91	74.48
	योग	**540055**	**62982**	**603037**	**517643**	**58772**	**576415**	**368158**	**28795**	**396953**	**71.12**	**48.99**	**68.87**
बरेली	बालक	122290	38031	160321	116904	35433	152337	64769	15728	80497	55.40	44.39	52.84
	बालिका	62098	10434	72532	60136	9862	69998	42043	5421	47464	69.91	54.97	67.81
	योग	**184388**	**48465**	**232853**	**177040**	**45295**	**222335**	**106812**	**21149**	**127961**	**60.33**	**46.69**	**57.55**
इलाहाबाद	बालक	444800	81428	526228	425789	76731	502520	281652	42759	324411	66.15	55.73	64.56
	बालिका	237498	17541	255039	230524	16479	247003	172861	9902	182763	74.99	60.09	73.99
	योग	**682298**	**98969**	**781267**	**656313**	**93210**	**749523**	**454513**	**52661**	**507174**	**69.25**	**56.50**	**67.67**
वाराणसी	बालक	579558	79666	659224	561250	75974	637224	430755	52849	483604	76.75	69.56	75.89
	बालिका	289871	10392	300263	284673	9810	294483	228611	6707	235318	80.31	68.37	79.91
	योग	**869429**	**90058**	**959487**	**845923**	**85784**	**931707**	**659366**	**59556**	**718922**	**77.95**	**69.43**	**77.16**
योग	बालक	1524862	251055	1775917	1465439	236523	1701962	1027311	134116	1161427	70.10	56.70	68.24
	बालिका	751308	49419	800727	731480	46538	778018	561538	28045	589583	76.77	60.26	75.78
	योग	**2276170**	**300474**	**2576644**	**2196919**	**283061**	**2479980**	**1588849**	**162161**	**1751010**	**72.32**	**57.29**	**70.61**

तालिका– 11

इण्टरमीडिएट परीक्षा 2004

कार्यालय		पंजीकृत			सम्मिलित			उत्तीर्ण			उत्तीर्ण प्रतिशत		
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग
मेरठ	बालक	118883	20894	139777	116008	18628	134636	99382	12070	111452	85.66	64.79	82.78
	बालिका	80380	5629	86009	79395	5087	84482	73407	3732	77139	92.45	73.36	91.30
	योग	**199263**	**26523**	**225786**	**195403**	**23715**	**219118**	**172789**	**15802**	**188591**	**88.42**	**66.63**	**86.06**
बरेली	बालक	38135	11482	49617	37236	10228	47464	31787	6647	38434	85.36	64.98	80.97
	बालिका	27982	3939	31921	27695	3624	31319	25396	2617	28013	91.69	72.21	89.44
	योग	**66117**	**15421**	**81538**	**64931**	**13852**	**78783**	**57183**	**9264**	**66447**	**88.06**	**66.87**	**84.34**
इलाहाबाद	बालक	162387	23250	185637	159611	20847	180458	140646	14844	155490	88.11	71.20	86.16
	बालिका	119306	7664	126970	117911	6814	124725	109477	4955	114432	92.84	72.71	91.74
	योग	**281693**	**30914**	**312607**	**277522**	**27661**	**305183**	**250123**	**19799**	**269922**	**90.12**	**71.57**	**88.44**
वाराणसी	बालक	228657	23508	252165	226009	21611	247620	209672	16956	226628	92.77	78.46	91.52
	बालिका	152684	5586	158270	151551	5054	156605	146014	4017	150031	96.34	79.48	95.80
	योग	**381341**	**29094**	**410435**	**377560**	**26665**	**404225**	**355686**	**20973**	**378653**	**94.20**	**78.65**	**93.18**
योग	बालक	548062	79134	627196	538864	71314	610178	481487	50517	5320[illegible]	89.35	70.84	87.18
	बालिका	380352	22818	403170	376552	20579	397131	354294	15321	36[illegible]615	94.08	74.44	93.07
	योग	**928414**	**101952**	**1030366**	**915416**	**91893**	**1007309**	**835781**	**65838**	**901619**	**91.30**	**71.64**	**89.50**

... DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-12915
DOC, No.........
Date.....23-1-2007

तालिका–12

2001 की जनगणनानुसार जनपदवार जनसंख्या एवं 7 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत

क्र0सं0	जनपद / मण्डल	जनसंख्या	साक्षरता प्रतिशत		
			पुरूष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	लखनऊ	3681416	76.63	61.22	69.39.
2.	सीतापुर	3616510	61.03	35.89	49.12
3.	लखीमपुर खीरी	3200137	61.03	35.89	49.39
4.	हरदोई	3397414	65.08	37.62	52.64
5.	उन्नाव	2700426	67.62	42.40	55.72
6.	रायबरेली	2872204	69.03	40.44	55.09
1.	लखनऊ मण्डल	19468107			
7.	फैजाबाद	2087914	70.73	43.35	57.48
8.	अम्बेडकरनगर	2025373	71.93	45.98	59.06
9.	सुल्तानपुर	3190926	71.85	41.81	56.90
10.	बाराबंकी	2673394	60.12	35.64	48.71
2.	फैजाबाद	9977607			
11.	गोण्डा	2765754	56.93	27.29	42.99
12.	बलरामपुर	1684567	46.28	21.58	34.71
13.	बहराइच	2384239	46.32	23.27	35.79
14.	श्रावस्ती	1175428	47.27	18.75	34.25
3.	देवीपाटन मण्डल	8009988			
15.	गोरखपुर	3784720	76.70	44.48	60.96
16.	महराजगंज	2167041	65.40	26.64	47.72
17.	देवरिया	2730376	76.31	43.56	59.54
18.	कुशीनगर	2891933	65.35	30.85	48.43
4.	गोरखपुर मण्डल	11574070			
19.	बस्ती	2068922	68.16	39.00	54.28
20.	संतकबीर नगर	1424500	67.85	35.45	51.71
21.	सिद्धार्थ नगर	2038598	58.68	28.35	43.97
5.	बस्ती मण्डल	5532020			
22.	आजमगढ़	3950808	70.50	42.44	56.15

23	मऊ	1849294	78.97	50.86	64.86
24	बलिया	2752412	73.15	43.92	58.88
6.	आजमगढ मण्डल	8552514			
25.	वाराणसी	3147927	83.66	48.59	67.09
26.	चन्दौली	1639777	75.55	45.45	61.11
27.	गाजीपुर	3049337	77.45	44.39	60.06
28.	जौनपुर	3911305	77.16	43.53	59.96
7.	वाराणसी मण्डल	11748346			
29.	मिर्जापुर	2114852	70.51	39.89	56.10
30.	सन्त रविदास नगर	1352056	77.99	38.72	59.14
31.	सोनभद्र	1463468	63.79	34.26	49.96
8.	मिर्जापुर मण्डल	4930376			
32.	मुरादाबाद	3749630	56.66	33.32	45.75
33.	रामपुर	1922450	48.62	27.87	38.95
34.	बिजनौर	3130586	70.18	47.28	59.37
35.	ज्योतिबा फूलेनगर	1499193	63.49	35.07	50.21
9.	मुरादाबाद मण्डल	10301859			
36.	इलाहाबाद	4941510	77.13	46.61	62.89
37.	कौशाम्बी	1294937	63.49	30.80	48.18
38.	प्रतापगढ़	2727156	74.61	42.63	58.67
39.	फतेहपुर	2305847	73.07	44.62	59.74
10.	इलाहाबाद मण्डल	11269450			
40.	कानपुर नगर	4137489	82.08	72.50	77.63
41.	कानपुर देहात	1584037	76.84	54.49	66.59
42.	फर्रूखाबाद	1577237	72.40	50.35	62.27
43.	कन्नौज	1385227	73.38	49.99	62.57
44	इटावा	1340031	81.15	58.49	70.75
45.	औरैय्या	1179496	81.18	60.08	71.50
11.	कानपुर मण्डल	11203517			
46.	झाँसी	1746715	80.11	51.21	66.69
47.	जालौन	1455859	79.14	50.66	66.14
48.	ललितपुर	977447	64.45	33.25	49.93

12.	झाँसी मण्डल	4180021			
49.	बांदा	1500253	69.89	37.10	54.84
50.	चित्रकूट	800592	78.75	51.28	66.06
51.	हमीरपुर	1042374	72.76	40.65	58.10
52.	महोबा	708831	66.83	39.57	54.23
13.	चित्रकूट धाम मण्डल	4052050			
53.	आगरा	3611301	79.32	48.15	64.97
54.	अलीगढ़	2990388	73.22	43.88	59.70
55.	हाथरस	1333372	77.17	47.16	63.38
56.	फिरोजाबाद	2045737	77.81	53.02	66.53
57.	मैनपुरी	1592875	78.27	52.67	66.51
58.	मथुरा	2069578	77.80	43.77	62.21
59.	एटा	2788270	69.15	40.65	56.15
14.	आगरा मण्डल	16431521			
60.	मेरठ	3001636	76.31	54.12	65.96
61.	बागपत	1164388	78.60	50.38	65.65
62.	गाजियाबाद	3289540	81.04	59.12	70.89
63.	गौतमबुद्धनगर	1191263	82.56	54.56	69.78
64.	बुलन्दशहर	2923290	75.55	42.82	60.19
15.	मेरठ मण्डल	11570117			
65.	सहारनपुर	2848152	72.26	51.42	62.61
66.	मुजफ्फरनगर	3541952	73.11	48.63	61.68
16.	सहारनपुर मण्डल	6390104			
67.	बरेली	3598701	59.12	35.13	47.99
68.	शाहजहाँपुर	2549458	60.53	34.68	48.79
69.	बदायूं	3069245	49.85	25.53	38.83
70.	पीलीभीत	1643788	63.82	35.84	50.87
17.	बरेली मण्डल	10861192			
71.	उत्तर प्रदेश	16052859	70.23	42.98	57.36

तालिका– 13
माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत पदों की स्थिति
अनुदान संख्या– 72 लेखाशीर्षक– 2202

क्र0सं0	विभिन्न वर्गों के पदनाम	1.4.2004 को विद्यमान स्वीकृत पद			कुल भरे पद	अन्तिम विहित वेतनमान (रूपये)
		स्थायी	अस्थायी	कुल पद		
1	2	3	4	5	6	7
	आयोजनागत राजपत्रित पद					
1.	मण्डलीय उप शि0नि0	0	3	3	3	12000–16500
2.	मण्डलीय उप शि0नि0	0	3	3	3	10000–15200
3.	जिला विद्यालय निरीक्षक	0	9	9	9	10000–15200
4.	विज्ञान प्रगति अधिकारी	0	3	3	0	8000–13500
5.	लेखाधिकारी	0	12	12	12	8000–13500
6.	सहायक निरी0, संस्कृत पा0	0	2	2	2	6500–10500
7.	प्रधानाचार्य	0	2	2	–	8000–13500
8.	प्रधानाचार्या	0	9	9	–	8000–13500
9.	उप प्रधानाचार्य	0	21	21	–	7500–12000
10.	प्रधानाध्यापक	0	126	126	50	7500–12000
	योग	0	190	190	79	
	आयोजनागत–अराजपत्रित पद					
1.	लेखाकार	0	9	9	9	5000–8000
2.	वरिष्ठ सहा0/प्रधान लिपिक	0	6	6	6	5000–8000
3.	आशुलिपिक	0	3	3	3	5000–8000
4.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	0	3	3	3	5000–8000
5.	वरिष्ठ सहायक	0	3	3	3	4500–7000
6.	आशुलिपिक	0	11	11	11	4000–6000
7.	लेखा परीक्षक	0	6	6	6	4000–6000
8.	वरिष्ठ लिपिक	0	6	6	6	4000–6000
9.	कनिष्ठ लिपिक	0	18	18	18	3050–4590
10.	ड्राइवर	0	9	9	9	3050–4590
11.	दफ्तरी	0	15	15	15	2610–3540
12.	चतुर्थ श्रेणी	0	9	9	9	2550–3200

13.	चौकीदार/स्वीपर	0	32	32	32	2550–3200
14.	वरिष्ठ लिपिक, राज0विद्या0	0	40	40	–	4000–6000
15.	कनिष्ठ लिपिक, राज0विद्या0	0	78	78	7	3050–4590
16.	चतुर्थ श्रेणी, राज0विद्या0	0	193	193	28	2550–3200
17.	प्रवक्ता	0	590	590	248	6500–10500
18.	सहायक अध्यापक, एल0टी0	0	965	965	385	5500–9000
	योग (अराजपत्रित पद)	–	1996	1996	798	
	योग (राजपत्रित+अराजपत्रित)	–	2186	2186	877	
	आयोजनेत्तर राजपत्रित, पदं					
1.	शिक्षा निदेशक	1	0	1	1	18400–22400
2.	विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन	1	0	1	1	18400–22400
3.	मुख्य लेखाधिकारी	1	0	1	1	16400–20000
4.	अपर शिक्षा निदेशक (मा0)	1	0	1	1	14300–18300
5.	अपर शि0नि0 (व्या0शिक्षा)	0	1	1	1	14300–18300
6.	अपर शि0नि0 (पत्राचार)	0	1	1	1	14300–18300
7.	अपर शिक्षा निदेशक (महिला)	0	1	1	1	14300–18300
8.	सचिव, माध्यमिक शि0प0	1	0	1	1	12000–16500
9.	संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ)	1	0	1	1	12000–16500
10.	संयुक्त शि0नि0 (शिविर)	0	1	1	1	12000–16500
11.	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)	5	10	15	15	12000–16500
12.	उप शिक्षा निदेशक, मण्डल/मु0	12	11	23	23	10000–15200
13.	जिला विद्यालय निरीक्षक (उ0प्र0/समकक्षीय पद)	50	30	80	80	10000–15200
14.	सहायक शि0नि0 (पत्राचार)	1	–	1	1	10000–15200
15.	सहा0शि0नि0 (एन0एफ0सी0)	0	1	1	1	10000–15200
16.	अपर सचिव, मा0शि0प0	5	0	5	5	10000–15200
17.	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	0	1	1	1	10000–15200
18.	सहायक निदेशक (अनुश्रवण) शि0का0	–	1	1	1	10000–15200
19.	लेखाधिकारी मा0शि0प0	1	14	15	10	8000–13500
20.	अनुसंधान अधिकारी शि0कार्या0	–	3	3	3	8000–13500

21.	उप सचिव, मा0शि0प0	5	16	21	16	8000–13500
22.	रिप्रोग्राफी आफिसर (मा0शि0प0)	0	1	1	1	8000–13500
23.	सहा0उप शि0नि0 (महिला)/मा0	4	1	5	1	8000–13500
24.	सहा0 लेखा0 (एन0एफ0सी0)	0	1	1	1	6500–10500
25.	सहायक सचिव, राज0 (मा0शि0प0)	6	3	9	9	6500–10500
26.	सहायक तकनीकी/राज0 (मा0शि0प0)	1	0	1	0	6500–10500
27.	सहायक लेखाधिकारी (मा0शि0प0)	1	0	1	0	6500–10500
28.	विज्ञान प्रगति अधिकारी	0	9	9	1	8000–13500
29.	निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला	1	0	1	0	8000–13500
30.	सह जिला विद्यालय निरीक्षक	45	0	45	30	8000–13500
31.	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज	42	62	104	88	8000–13500
32.	प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इण्टर कालेज	54	92	146	54	8000–13500
33.	विधि अधिकारी, शिक्षा निदेशक	0	1	1	1	8000–13500
34.	सहायक मण्डलीय बालिका वि0नि0	3	0	3	–	8000–13500
35.	साँख्यिकीय अधिकारी, (शि0नि0)	0	1	1	1	8000–13500
36.	वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)	1	0	1	1	8000–13500
37.	विधि अधिकारी, शि0नि0	1	2	3	3	8000–13500
38.	प्रधानाध्यापक, रा0उ0मा0वि0	22	59	81	50	7500–12000
39.	उप प्रधानाचार्य, रा0इ0बा0	0	38	38	37	7500–12000
40.	कृषि अधीक्षक, शि0नि0	1	0	1	1	7500–12000
41.	प्रधानाध्यापक, रा0बा0वि0	2	0	2	–	7500–12000
42.	प्रधानाध्यापिका, रा0क0उ0मा0वि0	50	111	161	152	7500–12000
	योग आयोजनेत्तर राजपत्रित	319	472	791	597	
	आयोजनेत्तर अराजपत्रित					
1.	वैयक्तिक सहायक, शि0नि0मा0	1	0	1	1	6500–10500
2.	पत्राचार अधिकारी	0	1	1	1	6500–10500
3.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शि0नि0	0	2	2	3	6500–10500
4.	सहायक सचिव, (मा0शि0प0)	3	8	11	4	6500–10500

5.	सहायक सचिव, (मा0शि0प0)	2	1	3	3	6500--10500
6.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (मा0शि0प0)	0	5	5	5	6500--10500
7.	प्रशासनिक अधिकारी, शि0नि0	4	1	5	5	5500--9000
8.	रिप्रोग्राफी सहायक (मा0शि0प0)	0	1	1	0	5500--9000
9.	सहायक पुस्तकालाध्यक्ष (मा0शि0प0)	1	0	1	0	5500--9000
10.	प्रशासनिक अधिकारी सामान्य (मा0शि0प0)	7	2	9	7	5500--9000
11.	प्रशासनिक अधिकारी गोपनीय (मा0शि0प0)	1	0	1	1	5500--9000
12.	साहित्यक सहायक, (मा0शि0प0)	6	0	6	4	5500--9000
13.	शोध सहायक, (मा0शि0प0)	0	6	6	6	5500--8000
14.	प्रवक्ता (पुरूष), उ0प्र0	717	610	1327	942	6500--10500
15.	प्रवक्ता (महिला), उ0प्र0	521	518	1039	806	6500--10500
16.	आशुलिपिक, शि0नि0	6	0	6	6	5000--8000
17.	अधीक्षक ग्रेड--2, शि0नि0	28	0	28	28	5000--8000
18.	सांख्यिकी सहायक, (शि0नि0)	2	0	2	1	5500--9000
19.	अधीक्षक ग्रेड--2 एन0एफ0सी0	0	1	1	1	5000--8000
20.	शोध सहायक, (सांख्यिकी) मा0शि0प0	0	1	1	1	5000--8000
21.	अधीक्षक ग्रेड--2 (मा0शि0प0)	52	15	67	61	5000--8000
22.	वरिष्ठ सहायक, अधी0का0	47	34	81	81	5000--8000
23.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, शि0नि0	70	7	77	61	5000--8000
24.	लेखाकार (शि0नि0)	118	19	137	78	5500--9000
25.	अनुसंधान सहायक, शि0नि0	2	0	2	2	5000--8000
26.	अधीक्षक ग्रेड--2 गोपनीय (मा0शि0प0)	9	2	11	9	5000--8000
27.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक मा0शि0प0	1	0	1	1	5000--8000
28.	स्नातक वेतनक्रम महिला शिक्षा	2513	800	3313	2591	5500--9000
29.	ज्येष्ठ अनुसंधानकर्ता, मा0शि0प0	2	0	2	1	4500--7000
30.	वरिष्ठ सहायक गोपनीय मा0शि0प0	138	12	150	120	4500--7000
31.	वरिष्ठ सहायक, शि0नि0	77	10	87	83	4500--7000
32.	सहायक अध्यापक एल0टी0(पुरूष)	3100	146	3246	2943	4500--7000

33.	आशुलिपिक, एन0एफ0सी0	0	1	1	1	4500–7000
34.	वरिष्ठ सहायक एन0एफ0सी0	2	0	2	2	4500–7000
35.	कनिष्ठ अनुसंधानकर्ता मा0शि0प0	2	0	2	2	4500–7000
36.	आशुलिपिक, मा0शि0प0	7	3	10	9	4500–7000
37.	कनिष्ठ सहायक गोपनीय मा0शि0प0	18	2	20	18	4500–7000
38.	वरिष्ठ सहायक, सामान्य मा0शि0प0	216	14	230	130	4500–7000
39.	लाइब्रेरियन, मा0शि0प0	1	0	1	1	4500–7000
40.	इनवेस्टीगेटर कम कम्प्यूटर मा0शि0प0	4	0	4	4	4500–7000
41.	डार्क रूम सहायक मा0शि0प0	1	0	1	1	4500–7000
42.	रिप्रोग्राफी रीडर मा0शि0प0	1	0	1	1	4500–7000
43.	—	0	1	1	1	4500–7000
44.	सहायक अध्यापिका (बी0टी0सी0)ग्रेड	1100	188	1288	0	4500–7000
45.	पुस्तकालयाध्यक्ष	20	0	20	15	4500–7000
46.	निर्देश सहायक	1	0	1	0	4500–7000
47.	प्रदायक सेवा सहायक	1	0	1	0	4500–7000
48.	सूचीकार माइक्राफीलिंग	1	0	1	0	4500–7000
49.	सूचीकार	1	0	1	0	3200–4900
50.	प्रूफ रीडर	1	0	1	1	4500–7000
51.	पुस्तकालयाध्यक्ष	0	1	1	1	4500–7000
52.	वरिष्ठ लिपिक शि0नि0	84	4	88	85	4000–6000
53.	रिकार्ड कीपर शि0नि0	1	0	1	1	4000–6000
54.	अन्वेषक कम संगणक अधी0का0	13	0	13	6	4500–7000
55.	आशुलिपिक शि0नि0	16	0	16	9	4000–6000
56.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक शि0नि0	21	6	27	27	4000–6000
57.	सहायक लेखाकार	34	6	40	40	4000–6000
58.	आशुलिपिक अधिनस्थ कार्या0	10	0	10	7	5000–8000
59.	वरिष्ठ सहा0 अधीनस्थ कार्या0	180	100	280	280	4500–7000
60.	वरिष्ठ सहा0 अधीनस्थ कार्या0	600	171	771	771	4000–6000
61.	आशुलिपिक अधीनस्थ कार्या0	150	29	179	99	4000–6000
62.	अन्वेषक कम संगणक (शि0नि0)	10	0	10	4	5000–8000
63.	वरिष्ठ लिपिक, एन0एफ0सी0	0	2	2	2	4000–6000

64.	कम्प्यूटर सहायक	—	1	1	1	4000—6000
65.	कनिष्ठ लेखापरीक्षक मा0शि0प0	3	0	3	3	4000—6000
66.	आशुलिपिक मा0शि0प0	0	4	4	3	4000—6000
67.	वरिष्ठ लिपिक मा0शि0प0	142	21	163	160	4000—6000
68.	कनिष्ठ लिपिक मा0शि0प0	287	198	485	475	3050—4590
69.	वैयक्तिक उम्मीदवार मा0शि0प0	0	48	48	14	3050 नियत
70.	आर्टिस्ट मा0शि0प0	1	0	1	0	3050—4590
71.	कनिष्ठ लिपिक शि0नि0	100	8	108	92	3050—4590
72.	टेलीफोन आपरेटर मा0शि0प0	2	0	2	2	3050—4590
73.	ट्रक ड्राइवर, मा0शि0प0	1	0	1	1	3050—4590
74.	पिकअप ड्राइवर मा0शि0प0	1	0	1	1	3050—4590
75.	जीप चालक, मा0शि0प0	2	3	5	5	3050—4590
76.	ड्राइवर शिक्षा निदेशालय	5	0	5	5	3050—4590
77.	कनिष्ठ लिपिक एन0एफ0सी0	0	2	2	2	3050—4590
78.	वाहन चालक, एन0एफ0सी0	0	1	1	1	3050—4590
79.	पंच आपरेटर	—	1	1	1	3050—4590
80.	कनिष्ठ लिपिक अधी0का0	700	196	896	896	3050—4590
81.	ड्राइवर अधीनस्थ कार्यालय	100	24	124	101	3050—4590
82.	दफ्तरी एन0एफ0सी0	0	1	1	1	2610—3540
83.	टाइपराइटर मैकेनिक	1	0	1	0	3050—4590
84.	चिन्तक शिक्षा निदेशालय	1	0	1	1	3050—4590
85.	दफ्तरी शिक्षा निदेशालय	10	0	10	10	3050—4590
86.	हेडमाली शिक्षा निदेशालय	1	0	1	1	3050—4590
87.	जनरेटर आपरेटर मा0शि0प0	0	3	3	2	3050—4590
88.	भवन चिन्तक, मा0शि0प0	2	2	4	3	3050—4590
89.	मशीन मैन, शिक्षा निदेशालय	2	0	2	2	3050—4590
90.	जमादार	0	1	1	0	3050—4590
91.	दफ्तरी अधीनस्थ कार्यालय	600	95	695	675	3050—4590
92.	स्टोरकीपर/कैशियर	1	0	1	1	3200—4900
93.	फार्मकीपर मा0शि0प0	2	1	3	2	2610—3540
94.	दफ्तरी मा0शि0प0	9	2	11	11	2610—3540
95.	बण्डल वाहक, मा0शि0प0	1	0	1	1	2550—3200

96.	चपरासी, शिक्षा निदेशालय	72	0	72	72	2550–3200
97.	चपरासी, मा0शि0प0	54	23	77	77	2550–3200
98.	नियमित श्रमिक मा0शि0प0	95	23	471	409	2550–3200
99.	कुर्सी बुनकर, मा0शि0प0	2	0	2	2	2550–3200
100.	स्वीपर, मा0शि0प0	2	1	3	3	2550–3200
101.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एन0एफ0सी0	0	2	2	2	2550–3200
102.	चपरासी/अर्दली/चौकीदार अधीनस्थ कार्यालय	4000	476	4476	4376	2550–3200
	योग आयोजनेत्तर अराजपत्रित	**16124**	**4219**	**20343**	**16863**	
	महायोग– राजपत्रित	**319**	**662**	**981**	**676**	
	महायोग अराजपत्रित	**16124**	**6215**	**22339**	**17661**	
	(राजपत्रित + अराजपत्रित)	**16443**	**6877**	**23320**	**18337**	

वेतन क्रमानुसार पदों की संख्या		
क्रमांक	**वेतनमान**	**पद संख्या**
1.	18400–22400	2
2.	16400–20000	1
3.	14300–18300	4
4.	12000–16500	21
5.	10000–15200	124
6.	8000–13500	385
7.	7500–12000	430
8.	6500–10500	2993
9.	5500–9000	7549
10.	5000–8000	459
11.	4500–7000	2121
12.	4000–6000	1358
13.	3200–4900	2
14.	3050–4590	1785
15.	2610–3540	749
16.	2250–3200	5337
	योग	**23320**

NIEPA - DC
D12915

पा0प्र0यू0पी0--14 शिक्षा दिनांक 17-2-05--1200 युक्स (आफसेट)

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016
DOC, No. D-12915
Date